

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(19)एमई/ग्रुप.1/2012

जयपुर, दिनांक


"आदेश"

12 FEB 2013

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24बीबी के उपनियम (5) के अंतर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर नेफ्रोलोजी विशिष्टता के निम्नांकित शिक्षक चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वरिष्ठ आचार्य / आचार्य पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नति पर प्राप्त पद	पदोन्नति तिथि
1.	डा० एल०सी०शर्मा	आचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर	वरिष्ठ आचार्य, मेडि. कालेज, जयपुर	1.4.2011
2.	डा० मुकेश कुमार बड़जात्या	आचार्य, मेडिकल कालेज, उदयपुर	वरिष्ठ आचार्य मेडि. कालेज, उदयपुर	1.4.2011
3.	डा० विनय मल्होत्रा	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर	आचार्य, मेडि.कालेज, जयपुर	1.4.2011
4.	डा० धनन्जय अग्रवाल	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर	आचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर	1.4.2011


आज्ञा से,



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. अतिरिक्त सचिव, शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर/उदयपुर।
5. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रधानाचार्य।
6. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव